



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

ई-मेल / स्पीड पोस्ट

E-Mail/Speed Post

Ref No.: AAI/CHQ/EDENGG-SR/HUBLI/CONSLTY- SQ/WO/2024 /34

Dated: 14.10.2024

To,

M/s RITES LIMITED

SCOPE Minar, Laxmi Nagar,

Delhi, India-110092

Tel: +91 124 2818447

E-mail: airports@rites.com

विषय: "हुबली हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण और विविध कार्यों" के कार्य पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए परामर्श सेवाएँ। (निविदा आई. डी.: 2024_AAI_193133_1)

Sub: Consultancy Services for Supervision and Quality Control for the Work of "Construction of New Terminal Building and Miscellaneous Works at Hubli Airport". (Tender ID: 2024_AAI_193133_1)

Ref: Your tender (Financial Bid) opened through CPP portal on 25.04.2024.

Dear Sir(s),

1. उपरोक्त कार्य के लिए आपकी निविदा अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से आपके द्वारा उद्धृत कुल राशि रुपये 2,65,34,000 (दो करोड़ पैंसठ लाख चौंतीस हजार मात्र) जीएसटी को छोड़कर लेकिन अन्य सभी लागू करों सहित स्वीकार की जाती है।

Your tender for the subject work mentioned above is hereby accepted on behalf of Chairman, Airports Authority of India at your quoted fee of **Rs. 2,65,34,000/-** (Two Crores Sixty Five Lakhs Thirty Four Thousands Only) exclusive of GST but inclusive of all other applicable taxes.

2. विषय कार्य के लिए उप-महाप्रबंधक (इंजी.-सिविल), भा.वि.प्रा., हुबली हवाई अड्डा प्रभारी अभियंता होंगे। आपसे अनुरोध है कि उप-महाप्रबंधक (इंजी.-सिविल)- द.क्षे., नि. मु., भा.वि.प्रा., ब्लॉक-ए, तीसरी मंजिल, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003 के कार्यालय में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और अनुबंध को पूरा करने के लिए 29.10.2024 तक उपस्थित हों। अनुबंध 100/- रुपये (एक सौ रुपये) के गैर-



न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा और स्टाम्प पेपर की लागत आपके द्वारा वहन की जाएगी।

Dy. General Manager (Engg -Civil), AAI, Hubli Airport shall be the Engineer-In-Charge for the subject work. You are requested to attend the office of Dy. General Manager (Engg-Civil)-SR, CHQ, AAI, Block-A, 3rd Floor, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New Delhi-110003 by **29.10.2024** to sign and complete the contract agreement. The contract agreement shall be executed on non-judicial stamp paper of value Rs.100/- (Rupees one hundred) and the cost of the stamp papers shall be borne by you.

3. कृपया रुपये **9,00,385/-** (नौ लाख तीन सौ पिचासी रुपये मात्र) की राशि की बैंक गारंटी कार्य प्रभारी अभियंता को इस पत्र के जारी होने के 10 दिनों के भीतर जमा करें। आपकी निविदा के साथ ऑनलाइन भुगतान के रूप में प्राप्त बयाना राशि **₹ 9,00,385/-** (नौ लाख तीन सौ पिचासी रुपये मात्र) को उपरोक्त बैंक गारंटी जमा करने पर सीपीपी पोर्टल के माध्यम से रिलीज़ कर दिया जाएगा। आगे इस पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर रुपये **4,26,315/-** (चार लाख छब्बीस हजार तीन सौ पंद्रह रुपये मात्र) शेष प्रतिभूति जमा राशि जमा करें। ऐसा न करने पर उपरोक्त राशि अनुबंध दस्तावेज़ के पृष्ठ 68 पर एससीसी अनुच्छेद 4.2 की शर्त के अनुसार आपके चालू बिल से काट लिया जाएगा।

Please deposit the Bank Guarantee amounting to **Rs. 9,00,385/-** (Rupees Nine Lacs Three Hundred Eighty Five Only) to the Engineer-In-Charge of the work within 10 days from the date of issue of this letter. The earnest money amount of Rs. 9,00,385/- (Rupees Nine Lacs Three Hundred Eighty Five Only) received in the form of Online payment along with your tender will be released through CPP portal on submission of aforesaid Bank Guarantee. Further, deposit **Rs. 4,26,315/-** (Rupees Four Lacs Twenty Six Thousand Three Hundred Fifteen Only) towards balance Security Deposit within 30 days from the date of issue of this letter failing which the same will be deducted from your running bill as per condition of SCC clause 4.2 at page 68 of the contract document.

4. आपसे अनुरोध है कि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम 1971, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1996, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996, के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के प्रावधान का पालन करें।

You are requested to comply with the provision of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and Contract Labour (Regulation and Abolition) central rules 1971, Child labour (Prohibition & Regulation) Act 1986, Construction

workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 1996, Building and other Construction workers welfare cess Act 1996 as per rules of Central and State Government.

5. आपको उप-महाप्रबंधक (इंजी.-सिविल), भा.वि.प्रा., हुबली हवाई अड्डा से तुरंत संपर्क करने के लिए भी निर्देशित किया जाता है जो आपको अनुबंध प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिये कार्य स्थल देंगे।

You are also directed to contact Dy. General Manager (Engg-Civil), AAI, Hubli Airport immediately who will hand over the site to you for taking up the work as per contract provisions.

6. कृपया ध्यान दें कि कार्य करने के लिए अनुमत समय 26 महीने होगा और इसकी गणना इस पत्र के जारी होने के 10वें दिन से होगी।

Please note that time allowed for carrying out the work shall be 26 months and same shall be reckoned from the 10th day after issue of this letter.

7. अनुबंध के संबंध में किसी भी आगे के पत्राचार को सामान्यतया प्रभारी अभियंता को संबोधित किया जाना चाहिए।

Any further correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the Engineer- in -Charge.

8. कृपया रसीद की पावती दें और इसके साथ संलग्न इस पत्र की डुप्लीकेट प्रति हस्ताक्षर करने के बाद अधोहस्ताक्षरी को स्वीकृति के प्रतीक के रूप में लौटा दें।

Please acknowledge the receipt and return the duplicate copy of this letter enclosed herewith after signing it to the undersigned as a token of acceptance.

9. In case of any ambiguity, the english version will be followed.

Yours Faithfully,


(R. Mini)

Dy. General Manager (Engg-Civil)-SR, CHQ.
For and on behalf of the Chairman,
Airports Authority of India.